

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 96]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 18 अप्रैल 2012—चैत्र 29 शक 1934

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 अप्रैल 2012

क्रमांक 3265/डी. 113/21-अ.प्र./छ. म./12.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 12-04-2012 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वस्वधरण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जात है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. पाराशर, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 12 सन् 2012)

छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) (संशोधन)
अधिनियम, 2012

छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) अधिनियम, 1967 (क्रमांक 29 सन् 1967) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) (संशोधन) अधिनियम, 2012 कहलायेगा.

(2) यह 1 अप्रैल, 2012 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
क्रमांक 29 सन् 1967
की धारा 2 द्वारा यथा
प्रतिस्थापित मूलभूत
नियम 56 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) अधिनियम, 1967 (क्रमांक 29 सन् 1967) की धारा 2 द्वारा यथा प्रतिस्थापित छत्तीसगढ़ राज्य में लागू मूलभूत नियम के नियम 56 में, निम्नलिखित संशोधन निगमित किया जाये, अर्थात् :-

(एक) उप-नियम (1-क) में, शब्द "प्रत्येक शासकीय शिक्षक" के पश्चात् शब्द "उप-नियम (1-ड) में विनिर्दिष्ट से भिन्न" अन्तःस्थापित किया जाए.

(दो) नियम 56 के उप-नियम (1-घ) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(1-ड) उप-नियम (2) के उपबंधों के अधधीन रहते हुए, उच्च शिक्षा विभाग के अधीनस्थ शासकीय महाविद्यालय, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, शासकीय पॉलीटेक्निक संस्था, शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय के शिक्षक संवर्ग का ऐसा सदस्य एवं राज्य स्तर के नर्सिंग शिक्षण संस्था में नर्सिंग प्राध्यापक वर्ग का नर्सिंग में एम.एस.सी. सदस्य, जो केवल क्लासरूम (कक्षा) शिक्षण कार्य में लगा हो तथा जो गैर-शिक्षकीय अथवा प्रशासकीय पद को धारित न कर रहा हो, उस माह के, जिसमें कि वह पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर ले, अंतिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त हो जायेगा:

परन्तु शिक्षक संवर्ग का ऐसा सदस्य जो शैक्षणिक पद पर धारणाधिकार रखता हो तथा जो प्रशासकीय पद को धारित कर रहा है, यदि पैंसठ वर्ष की आयु तक सेवा करना चाहता है तो उसे शिक्षकीय पद पर नियुक्ति हेतु विकल्प देना होगा:

परन्तु यह और कि शिक्षक संवर्ग का ऐसा सदस्य जो इस उप-नियम के अन्तर्गत सेवानिवृत्त होता है, जिसकी जन्मतिथि किसी मास की पहली तारीख हो, पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन के अपराह्न में पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर सेवानिवृत्त हो जायेगा."

स्पष्टीकरण :- इस उप-नियम के प्रयोजन के लिए, "क्लासरूम (कक्षा) शिक्षण" का अर्थ होगा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 (1987 का 52), दंत चिकित्सा अधिनियम, 1948 (1948 का 16), भारतीय नर्सिंग कौंसिल अधिनियम, 1947 (1947 का 48), के अंतर्गत या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अन्तर्गत यथा प्राधिकृत कोई उपाधि या किसी अन्य अर्हता को प्रदान करने के लिए अग्रसर होते हुए किसी विषय या संकाय में पाठ्यक्रम या अध्ययन के कार्यक्रम का कक्षा में विद्यार्थियों को अध्यापन (शिक्षण)."

रायपुर, दिनांक 18 अप्रैल 2012

क्रमांक 3265/डी. 113/21-अ/प्रा./छ. ग./12.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) (संशोधन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 12 सन् 2012) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. पाराशर, उप-सचिव.